



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228692
CG-DL-E-03082021-228692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]
No. 426]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 03, 2021/श्रावण 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 03, 2021/SRAVANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 525(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 31 मई, 2021 में प्रकाशित, अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 352(अ), तारीख 27 मई, 2021 द्वारा प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 31 मई, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि नियम 2 के खंड (प) में यथा परिभाषित बैटरी प्रचालित यानों के लिए नीचे उल्लिखित सारणी के क्रम संख्यांक 4 में दी गई मदों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण तथा नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदान करने के प्रयोजन के लिए फीस के संदाय से छूट दी जाएगी।"

[फा. सं. आरटी-11036/100/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 492(अ), तारीख 15 जुलाई, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2021

G.S.R. 525(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 352 (E), dated the 27th May, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 31st May, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st May, 2021;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 and section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 81, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that, for the Battery Operated Vehicles as defined in clause (u) of rule 2, the items given at Serial number 4 of the below mentioned Table shall be exempted from the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of new registration mark.”

[F. No. RT-11036/100/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 492(E), dated the 15th July, 2021.